(15)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा जिला रीवा (म0प्र0)

III/निग0/रीवा/2017/भू रा0/2953

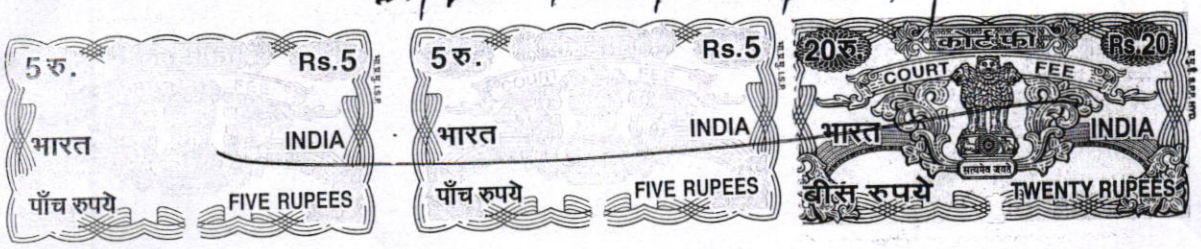

5रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES | 5रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES | 20रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

रमाकांत त्रिपाठी तनय हरिबकस राम त्रिपाठी उम्र 76 वर्ष निवासी ग्राम गहनउआ तहसील सिरमौर जिला रीवा म0प्र0 ....**निगरानीकर्ता**

बनाम

देवमती त्रिपाठी पत्नी सुरेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी (मृतक)

जगदीश प्रसाद तनय साधू प्रसाद त्रिपाठी निवासी ग्राम गहनउआ तहसील सिरमौर जिला रीवा म0प्र0 ....**गैर निगरानीकर्ता**

आवेदक श्री रमाकांत त्रिपाठी द्वारा पेश/30.8.17

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक 30.06.2017 श्रीमान् तहसीलदार महोदय तहसील सिरमौर जिला रीवा म0प्र0 नामांतरण प्रकरण क्र. 35–अ–6 / 2014–15

अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 ई.

महोदय,

निगरानी के तथ्य निम्न है :–

01. यह कि निगरानीकर्ता एवं स्व0 सुरेन्द्र त्रिपाठी सगे भाई है सुरेन्द्र त्रिपाठी ने दिनांक 09.06.2008 को अपने हिस्से की आराजियात का वसीयतनामा लेख करा दिया, जिसमें गवाह बृजभूषण यादव ने अपने निशानी अंगूठा लगाया था एवं कृष्ण कुमार मिश्रा ने अपने हस्ताक्षर किये थे तथा सुरेन्द्र कुमार ने अपने हस्ताक्षर किये थे। जिसका प्रमाणीकरण तत्कालीन तहसीलदार ने किया था। क्योंकि नोटरी उपस्थित नही थे सुरेन्द्र त्रिपाठी की मृत्यु दिनांक 01.10.2012 को हो गई थी व उनकी मृत्यु के बाद सुरेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी के हिस्से की

(15)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक दो–निगरानी/रीवा/भू.रा./2017/2953

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
01-08-18	निगरानी की ग्राह्यता पर आवेदक के अभिभाषक को पूर्व पेशी पर सुना जा चुका है। प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह निगरानी तहसीलदार सिरमौर जिला रीवा के प्रकरण कमांक 35 अ-6/14-15 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 30-6-17 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है। 2/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को पर विचार करने एंव तहसीलदार सिरमौर के आदेश दिनांक 30-6-17 के अवलोकन से परिलक्षित है कि मृतक पति सुरेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी के स्थान पर ग्राम गहनौआ एंव ग्राम सगरा की भूमियों पर भूमिस्वामी की विधवा पत्नि श्रीमती देवमती ने तहसीलदार सिरमौर के समक्ष नामान्तरण आवेदन दिया है जिस पर आवेदक आपत्तिकर्ता है। तहसील न्यायालय में प्रकरण प्रचलित रहने के दौरान महिला देवमती की पुत्र-पुत्री हीन रहते हुये मृत्यु हो गई एंव महिला देवमती ने जगदीश प्रसाद के हित में बसीयत निष्पादित करना बताते हुये, जगदीश प्रसाद ने बसीयत के आधार पर हितबद्ध पक्षकार बनाये जाने एंव नामान्तरण किये जाने की मांग की है जिस पर आवेदक ने आपत्ति प्रस्तुत की है एंव बताया है कि तथाकथित बसीयत वाद की शोच होने के कारण इस बसीयतग्रहीता को पक्षकार न बनाया जाय। तहसीलदार सिरमौर जिला रीवा ने आपत्ति पर दोनों पक्षों को सुनकर	

अंतरिम आदेश दिनांक 30–6–17 से इस प्रकार निर्णय लिया है :–

" प्रकरण में प्रस्तुत बसीयतनामे की सच्चाई का परीक्षण साक्ष्य से होगा । चूँकि बिना साक्ष्य के लिये बसीयतनामा के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता। बसीयतनामा के संबंध में अंतिम निष्कर्ष बसीयतनामा के साक्षियों के कूट परीक्षण के वाद ही हो सकता है। चूँकि आवेदिका के ओर से निष्पादित किए गए बसीयतनामा के आधार पर जगदीश प्रसाद प्रथम दृष्ट्या हितबद्ध व्यक्ति प्रतीत होते हैं। अतः उनका पक्षकार बनाये जाने का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है। चूँकि किसी प्रकरण को संचालित करने के लिये आवेदक की आवश्यकता होती है। आवेदक के रूप में योजित किए जाने हेतु केवल आपत्तिकर्ता जगदीशप्रसाद का आवेदन पत्र है। इसलिये आपत्तिकर्ता जगदीश प्रसाद को आवेदक के रूप में योजित किये जाने की अनुमति दी जाती है। "

तहसीलदार द्वारा लिये गये उक्तानुसार निर्णय से परिलक्षित है कि महिला देवमती द्वारा जगदीश प्रसाद के हित में निष्पादित बसीयत की प्रमाणिकता की जांच परख के लिये उसे हितबद्ध पक्षकार माना जाना लाजमी था जिसके कारण तहसीलदार सिरमौर जिला रीवा के प्रकरण कमांक 35 अ–6/14–15 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 30–6–17 में किसी प्रकार कम–वेशी नहीं है। वैसे भी आवेदक के पास तहसीलदार के समक्ष सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी सारहीन होने से इसी–स्तर पर अमान्य की जाती है।

सदस्य